न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 3/2018

उनवान

1. अनिल कुमार पुत्र सीताराम जाति अग्रवाल निवासी ग्राम नसीराबाद, अजमेर।
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. खनिज अभियंता खनन एवं भू विज्ञान अजमेर वृत अजमेर कार्यालय खनिज भवन आर.पी.एस.सी. के पास घूघरा घाटी, जयपुर रोड, अजमेर।
—— प्रतिवादीगण :– 1. जरिये राज0 पैरोकार
2. अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 30.5.19

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के चौसाला खसरा नम्बर 3814 वंर्किग खसरा नम्बर 3993 रकबा 9–5–0 भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक अंकित है। उक्त आराजी पर वादी च उसके कृषक पुश्तैनी समय से काबिज चले आ रहे है। हाल खसरा नम्बर 5726, 5727, 5728, एवं 1522 पर खसरा परिवर्तनशील संवत 2071 व 2073 में ज्वार की फसल काश्त है। वादी के काश्तकार मांगू पुत्र बालू जाट का संवत् 2033, 2023, 2032, 2025, 2027, 2036 में लगातार निरन्तर काश्त अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी कानूनन खातेदार काश्तकार होने से यह वाद खातेदारी हेतु प्रस्तुत है। नामान्तकरण संख्या 454 से वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 खनन विभाग के नाम अंकन करने से हाल खसरा नम्बर 1522/1.00, 5726/0.28, 5727/0.15 व 5728/0.10 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोष्ति किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 वाद विचारण के दौरान अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 3814 रकबा 18–15–0 खसरा गिरदावरी संवत 2018–21 में सिवायचक दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 3993 रकबा 9–5–0 सिवायचक दर्ज है। हाल खसरा नम्बर भी सिवायचक दर्ज है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक हाने से वाद खारिज योग्य है।

——2

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है
——वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ?
——वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने से वाद खारिज योग्य है ?
—— प्रतिवादी

4. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं वादी अनिल कुमतार व गवाह रामलालव किशन के शपथ पत्र पेश किये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व उसके काश्तकार की पुश्तैनी कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। अथवा कब्जे के आधार पर नियमन की जावे।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी मुतनाजा पर वादी अथवा उसके पूर्वज को कभी भी खातेदारी अधिकार नही मिले है। मात्र कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निमनवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

वादी ने अपने वाद में ही स्पष्ट किया है कि आराजी मुतनाजा आरम्भ से ही सिवायचक है। एवं वादी मात्र कब्जे काश्त के आधार पर ही उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2073 में उक्त आराजी वादी के नाम अतिक्रमी के रूप में दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 3.10.05 द्वारा अन्य आराजी के साथ वंर्किग खसरा नम्बर 3993 रकबा 9–5–0 में से 8–4–0 राज्य सरकार के आदेश से खनन क्षेत्र के रूप में अंकित हुयी है। चौसाला जमाबंदी में भी उक्त आराजी सिवायचक दर्ज थी। एवं हाल राजस्व अभिलेख में भी भूमि सिवायचक दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा कभी भी वादी अथवा उसके काश्तकारों के नाम खातेदारी/गैर खातेदारी दर्ज नही थी। वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज है। अतः उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी खातेदारी की सिद्व नही होती है। तनकी संख्या 1 विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

आराजी मुतनाजा तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार पूर्व व वर्तमान राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। वादी का उक्त आराजी पर मात्र सम्वत् 2073 पर अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा था। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील में अन्य व्यक्तियो का कब्जा उक्त आराजी पर यदा–कदा अतिक्रमी की हैसियत से रहा है। वादी का कथन है कि वे उसके काश्तकार है किन्तु इसके समर्थन में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये है। ना ही प्रकरण में उन्हे पक्षकार बनाया है। वैसे भी सिवायचक आराजी पर खण्डित कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। आराजी मुतनाजा वादी अथवा उसके पूर्वजो की खातेदारी में कभी नही रही है। अतः वर्तमान इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण नही कहा जा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

सकता है। ना ही वादी का उक्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जा सिद्व होता है। अतः तनकी संख्या 2 विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :—

तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की सिद्व नही होती है। ना ही वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। अतः सिवायचक आराजी पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दिये जाने के कारण तनकी संख्या 3 विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

वादी द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये है उनके द्वारा वादी का उक्त आराजी पर यदा—कदा कब्जा सिद्व होता है। उक्त खण्डित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नही दियें जा सकते है। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस आराजी मुतनाजा नियमन करने की प्रार्थना की है। किन्तु न्यायालय द्वारा वादी को आराजी मुतनाजा नियमन का अनुतोष नही दिया जा सकता है। वादी नियमन हेतु आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमानुसार प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन/नियमन का अनुतोष प्राप्त करे।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1522 रकबा 1.00, 5727 रकबा 0.15, 5728 रकबा 0.10 व 5726 रकबा 0.28 की आराजी पर वादी का वाद निरस्त किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

अनिल कुमार बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज0 अधि0 1956
राजस्व मुकदमा नम्बर – 3/2018
पेश करने की दिनांक – 3.1.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

उक्तानुसार ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 1522 रकबा 1.00, 5727 रकबा 0.15, 5728 रकबा 0.10 व 5726 रकबा 0.28 की आराजी पर वादी का वाद निरस्त किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 05 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner